कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

रायगढ़ दिनांक 30/05/2018

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांकः 05/अ–82/2016–17 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

<table>
<tr><td colspan="5">भूमि का प्रकार</td><td rowspan="2">धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी</td><td rowspan="2">सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण</td></tr>
<tr><td>जिला</td><td>तहसील</td><td>ग्राम /प.ह.नं.</td><td colspan="2">खसरा नम्बर / क्षेत्रफल (हे. में)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td colspan="2">4 / 5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td>रायगढ़</td><td>तमनार</td><td>नवापारा प.ह.नं 04</td><td colspan="2">
<table>
<tr><td>ख.नं.</td><td>रकबा</td><td>ख.नं.</td><td>रकबा</td><td>ख.नं.</td><td>रकबा</td><td>ख.नं.</td><td>रकबा</td></tr>
<tr><td>1/2</td><td>0.008</td><td>1/3</td><td>0.032</td><td>81/1</td><td>0.032</td><td>149/1</td><td>0.040</td></tr>
<tr><td>149/2</td><td>0.057</td><td>150/1</td><td>0.036</td><td>150/2</td><td>0.077</td><td>152/1</td><td>0.012</td></tr>
<tr><td>152/1</td><td>0.012</td><td>81/2</td><td>0.032</td><td>79/1</td><td>0.061</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="8">योगः कुल ख.नं 10 रकबा 0.387 हेक्टेयर</td></tr>
</table>
</td><td>कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायगढ़</td><td>जरेकेला–नवापारा के मध्य पांझर नाला पर पुल एवं पहुंच निर्माण हेतु भू–अर्जन।</td></tr>
</table>

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा जिला–रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा जिला रायगढ़ को पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्मी आबिदी)
कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग